

#### प्रेस नोट – थाना कोतवाली देहात

दिनांक:- 29,05,2024

# थाना कोतवाली देहात पुलिस ने लूट की झूठी सूचना देने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

## संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 28.05.2024 को ईट भट्टा मालिक विजय सिंह पुत्र स्व0 श्री अमर सिंह ठाकुर निवासी आर0 सी0 पुरम कालोनी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने डायल 112 व स्थानीय पुलिस को सूचना दी उसके पास काम करने वाला आदर्श कुमार पुत्र होशियार सिंह निवासी ग्राम इस्सापुर उर्फ फड़ियापुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर हाल पता नगीना बुँदगी रोड आर0 सी0 पुरम कालोनी थाना नजीबाबाद



जनपद बिजनौर जो नूरपुर से उसके उधारी के 2,74,470 रूपये लेकर नजीबाबाद आ रहा था तो रास्ते में थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मारकपुर हाइवे मोड के पास दो अज्ञात बाइक बदमाशो ने आदर्श कुमार से उसका बैग जिसमे नगदी, एटीएम पर्स व उसका मोबाइल था, को छीनकर भाग गए। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तो घटनास्थल निरीक्षण व आसपास के सीसीटीवी कैमरो को चेक किया गया तो घटना संदिग्ध प्रतीत हुई। प्रथम दृष्टया घटना का होना नही पाया गया।

### कार्यवाही विवरणः-

घटना के संबंध में आदर्श कुमार उपरोक्त से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैने कस्बा नजीबाबाद में स्थित अपने मकान को दो लाख रूपये में गिरवी रखा हुआ था, जिसे छुडाने के लिये मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैने ईट भट्टे के मालिक विजय सिंह के पैसे जिन्हें मैं नूरपुर से लेकर आने वाला था, को गबन करने की योजना बनाई तथा योजनानुसार पैसो को मैने अपने मामा के यहाँ उनको बिना बताये रख दिये तथा स्वयं के साथ लूट होने की झूठी सूचना के संबंध में अपने ईट भट्टे के मालिक विजय सिंह को बताया। थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा आदर्श कुमार उपरोक्त की निशांदेही पर एक बैग जिसमें 2,74,470 रूपये, एक मोबाइल VIVO Y -16, पर्स (एटीएम, आधार कार्ड) बरामद किया गया।

उक्त घटना के संबंध में ईट भट्टा मालिक विजय सिंह की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 115/2024 धारा 408/420 भा0द0वि0 बनाम आदर्श कुमार उपरोक्त पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त आदर्श कुमार पुत्र होशियार सिंह निवासी ग्राम इस्सापुर उर्फ फड़ियापुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर हाल पता नगीना बुँदगी रोड आर0 सी0 पुरम कालोनी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आदर्श कुमार पुत्र होशियार सिंह निवासी ग्राम इस्सापुर उर्फ फड़ियापुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर हाल पता नगीना बुँदगी रोड आर0सी0 पुरम कालोनी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

#### बरामदगीः-

- 1. 2,74,470 /- रुपये बरामद
- 2. एक मोबाइल VIVO Y -16
- 3. पर्स ( एटीएम, आधार कार्ड )
- 4. एक पिठ्ठ बैंग लाल व काले रंग जिसमें आदर्श कुमार रुपये लेकर नूरपुर से चला था।

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- 1.उ0नि0 विनोद कुमार पाण्डेय थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
- 2.हे0का0 622 संजय कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
- 3.हे0का0 665 अंकुरमान थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
- 4.का० 1384 अमित कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
- 5. म0का0 479 रजनी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर



प्रेस नोट – थाना शेरकोट

दिनांक - 29.05.2024

थाना शेरकोट पुलिस ने मु0अ0सं0 118/2024 धारा 323/324/504/506/307 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

#### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 28.05.2024 को वादी श्री धर्मवीर सिंह पुत्र श्री भोजराम सिंह निवासी ग्राम मनव्वरपुर सैद उर्फ महमदाबाद थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ने थाना शेरकोट पर तहरीर दी कि दिनांक 27.05.2024 को अभियुक्तगण 1.शादाब पुत्र शाहिद खां 2.शाहिद पुत्र सुहान खां 3.रिजवान खां पुत्र काले निवासीगण ग्राम मनव्वरपुर सैद उर्फ महमदाबाद थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ने वादी के भाई खजान सिंह तथा भाभी बाला देवी पत्नी खजान सिंह के साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से मारपीट की गयी, जिससे खजान सिंह गम्भीर रुप से घायल हो गया । तहरीर के आधार पर थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0



118/2024 धारा 323/324/504/506/307 भादवि बनाम शादाब आदि कुल 03 नफर उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

#### कार्यवाही -

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.05.2024 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वाछित अभियुक्त शाहिद पुत्र सुहान खां निवासी ग्राम मनव्वरपुर सैद उर्फ महमदाबाद थाना शेरकोट जनपद बिजनौर गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

शाहिद पुत्र सुहान खां निवासी ग्राम मनव्वरपुर सैद उर्फ महमदाबाद थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1.उ0नि0 श्री आशीष पुनिया थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 प्रशिक्षु अनुज कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 3 हे0कां0 643 विजयपाल सिंह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर



## जनपद बिजनौर प्रेस नोट — थाना नगीना देहात

दिनॉक 29.05.2024

थाना नगीना देहात पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (फेसबुक) पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

#### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.05.2024 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (फेसबुक) पर निसार मिलक की फेसबुक आइडी से एक वीडियो पोस्ट की गयी, जिसमें मा0 मुख्यमंत्री उ०प्र0 सरकार के चित्र पर आपित्तिजनक टिप्पणी अंकित की गयी। उपरोक्त वीडियों को तत्काल संज्ञान में लेकर वीडियों की जांच की गयी तो उक्त फेसबुक आइडी के उपयोगकर्ता निसार मिलक पुत्र मुस्तकीन निवासी ग्राम टाण्डा माईदास थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया। इस संबंध में थाना नगीना देहात पर



मु0अ0सं0 114 / 24 धारा 505(2) भादवि व धारा 66 आईटी एक्ट बनाम निसार मलिक उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

#### कार्यवाही-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं सोशल मीडिया पर आपित्तजनक टिप्पणी / पोस्ट करने वाले अभियुक्तों के विरूद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 29.05. 2024 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त निसार मिलक पुत्र मुस्तकीन निवासी ग्राम टाण्डा माईदास थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1. निसार मलिक पुत्र मुस्तकीन निवासी ग्राम टाण्डा माईदास थाना नगीना देहात बिजनौर बरामदगी का विवरण—
- 1.एक मोबाइल फोन

# गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

- 1- उ०नि० सतीश कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
- 2— उ०नि० (प्रशिक्षु) राहुल कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
- 3— आरक्षी 20 आशीष धामा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।



# प्रेस नोटः- थाना नगीना देहात

दिनांक 29.05.2024

# थाना नगीना देहात पुलिस ने वांरटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

## कार्यवाहीः-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांरटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.05.2024 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा वांरटी अभियुक्त विकास पुत्र विक्रम निवासी ग्राम भटौली थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



# <u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

विकास पुत्र विक्रम निवासी ग्राम भटौली थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

# गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1. उ0नि0 सतीश कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
- 2. का० २० आशीष धामा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।



प्रेस नोट – थाना हीमपुर दीपा

दिनांक - 29.05.2024

थाना हीमपुर दीपा पुलिस ने मु0अ0सं0 78/2024 धारा 307/504/506/336 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

#### संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 28.05.2024 को वादी श्री बिजेन्द्र सिंह पुत्र श्री लल्लू सिंह निवासी ग्राम चौकपुरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर द्वारा थाना हीमपुर दीपा पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तों 1. चरित्र कुमार पुत्र मूलचन्द 2. मूलचन्द पुत्र हुकम सिंह 3. विनित पुत्र मूलचन्द समस्त निवासीगण ग्राम चौकपुरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर द्वारा वादी के भाई व भतीजे के साथ गाली-गलौच



कर जान से मारने की नियत से लाठी-डन्डों व धारदार हथियारों से वार किया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गयी। इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 78/24 धारा 307/504/506/336 भादवि पंजीकृत किया गया।

#### कार्यवाही -

जनपद में अपराध नियंत्रण एंव अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.05.2024 को थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त चिरत्र कुमार पुत्र मूलचन्द निवासी ग्राम चौकपुरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त फावडे सहित गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

चरित्र कुमार पुत्र मूलचन्द निवासी ग्राम चौकपुरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1. थाना प्रभारी अन्नु कुमारी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
- 2. उ0नि0 रणवीर सिंह थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
- 3. हे0का0 668 अमित वर्मा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
- 4. म0का0 2413 शिवानी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।



दिनॉक 29.05.2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना किरतपुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से मा0 न्यायालय द्वारा 498ए/304बी भादवि व धारा 4 दहेज अधि0 के आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 30,000/— रुपये के अर्थदण्ड से किया दिण्डत।

## कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि दिनांक 09.08.2018 को वादिनी की पुत्री को अभियुक्त आकिब पुत्र मौ0 शाहिद निवासी ग्राम छोटी ज्वाली थाना किरतपुर जनपद बिजनौर व उसके परिजनों द्वारा दहेज के लिए प्रताडित करने तथा दहेज की मांग पूरी न होने पर मारपीट व प्रताडित करना जिससे वादिनी की पुत्री की मृत्यु हो जाने संबंध में थाना किरतपुर पर मु030सं0 235/2018 धारा 498ए/304बी भादिव व 3/4 दहेज अधि0 पंजीकृत कराया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

उक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 29.05.2024 को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0—04 जनपद बिजनौर द्वारा अभियुक्त आकिब पुत्र मौ० शाहिद निवासी ग्राम छोटी ज्वाली थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को उपरोक्त अभियोग में आजीवन कारावास व 30,000/— रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मा० न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मलित था।

# दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:-

1.आकिब पुत्र मौँ० शाहिद निवासी ग्राम छोटी ज्वाली थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।